तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इमारातसत जज	नम्बर व तारीख ... जो इस हुक्म ... में जारी
28/8/19.	पत्रावली पेश हुई, वकील, अपीलांट बहस हेतु समय चाहते हैं। समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दि० 5/9/19 को पेश हो।	
5/9/19.	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में बहस अधिवक्ता अपीलांट की सुनी गई, अधिवक्ता अपीलांट द्वारा रूलिंग की छायाप्रति प्रस्तुत है। रेस्पोंडेंट अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 11/9/19 को पेश हो।	
11/9/19	पत्रावली पेश हुई P.O. SDM बैठक में व्यस्त होने से अब पत्रावली पुनः दिनांक 12/9/19 को पेश हो।	
12/9/19	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली तहसीलदार बेरू को भेजी जावे कि उक्त नामान्तरण की जाँच कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 12/9/19 (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

अपील संख्या :: 01/2018

मनोहरलाल पिता कल्याणमल जी जाति अग्रवाल
निवासी चितौडगढ तहसील एवं जिला चितौडगढ़
अपीलार्थी

बनाम

श्री तहसीलदार तहसील कार्यालय, बेगूँ जिला चितौडगढ़
रेस्पोडेंट

उपस्थित :: श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता अपीलार्थी
तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक 12.09.2019

आदेश अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरण संख्या 343 ग्राम चेनसिंह जी का राजपुरा प0ह0 मंडावरी निर्णित दिनांक 23.04.2015 निर्णय तहसीलदार भू0अ0 बेगूँ

संक्षिप्त में अपील पत्र इस प्रकार से है कि अपीलार्थी श्री मनोहरलाल की ओर अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 343 ग्राम चेनसिंह जी का राजपुरा प.ह.मंडावरी निर्णय दिनांक 23.04.2015 के विरूद्ध अधिवक्ता श्री कैलाश मंत्री द्वारा निम्न बिन्दुओ के आधार पर प्रस्तुत की है:

1. यह कि अपिलार्थी द्वारा ग्राम चेनसिंह जी का राजपुरा की आराजी संख्या 148 एवं 153 किता–2 कुल रकबा 0.210 हैक्टर भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु आवेदन किया जो स्वीकृत होकर रूपान्तरण आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने नामान्तरण संख्या 343 वास्ते किस्म परिवर्तन खोला जिसमें प्रस्तावित प्रविष्टी के रूप में किस्म आबादी के रूप में परिवर्तन के साथ खातेदार अपीलार्थी के बजाय भूमि को बिलानाम किया जाना प्रस्तावित किया जिसे रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार करते हुए नामान्तरण स्वीकृत करने में भूल की है जिससे यह निर्णय निरस्त होने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व रेकार्ड व नियमों के अनुसार नामान्तरण में मात्र किस्म ही परिवर्तन किया जाना था जिसके साथ साथ खातेदार का नाम विलोपित करते हुए नामान्तरण स्वीकृत करने में कानूनी भूल की है जिससे निर्णय नामान्तरण निरस्त किया जाने योग्य है।
3. यह कि नामान्तरण संख्या 343 पर निर्णय दिनांक 23.04.2015 को होकर इसकी जानकारी अपीलार्थी को जमाबन्दी एवं नामान्तरण की दिनांक 30.11.2017 को नकल प्राप्त करने से प्राप्त हुई एवं जानकारी दिनांक से समयावधि में अपील नामान्तरण प्रस्तुत है। कानूनी पैचीदगी से बचने के लिए नियमानुसार धारा 5 समयावधि अधिनियम का प्रार्थनापत्र भी अलग से प्रस्तुत है।
4. यह कि अपील श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होकर अपील पूर्ण न्याय शुल्क , समन, प्रोसेस व नकलों के प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नमान्तरण संख्या 343 निरस्त फरमाने की कृपा करावें एवं भूमि में मात्र किस्म परिवर्तन किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलार्थी की अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, बेगूँ को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली में रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ,बेगूँ स्वयं उपस्थित आए तथा पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुनी गई, अधिवकता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस अपील पत्र अनुसार करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी मनोहरलाल द्वारा अपील पत्र में वर्णित आराजीयात का आवासीय रूपान्तरण तहसील कार्यालय, बेगूँ में कराए जाने पर नामान्तरण अपीलार्थी के नाम पर रूपान्तरण शब्द का अंकन करते हुए खोला जाना था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रूपान्तरित भूमि को बिलानाम दर्ज करते हुए नामान्तरण स्वीकृत किया है जो न्याय विरूद्ध है, किसी खातेदार द्वारा अपील भूमि का संपरिवर्तन कराए जाने पर भूमि की किस्म परिवर्तन होकर अंकन किया जायेगा ना कि भूमि को बिलानाम दर्ज की जावेगी, बिलानाम भूमि राजकीय भूमि दर्ज होने से अपीलार्थी का उक्त भूमि पर किस प्रकार हक रहेगा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भूमि का नामान्तरण नहीं खोला गया है। अतः उक्त नामान्तरण संख्या 343 निरस्त करते हुए भूमि में मात्र किस्म परिवर्तन किया जाने का आदेश प्रदान करावें। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, बेगूँ द्वारा बताया कि उक्त नामान्तरण तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित किया गया है, उक्त बाबत जॉच की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनने एवं उस पर मनन किये जोने उपरान्त पत्रपावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल नामान्तरण संख्या 343 का अवलोकन किया, उक्त नामान्तरण में वर्णित आराजी संख्या 148, 153, 718/144 किता– 3 रकबा 0.269 हैक्टर किस्म बीड भूमि जो कि खातेदार श्री मनोहरलाल पिता कल्याणमल अग्रवाल सा. चितौडगढ के नाम दर्ज है की भूमि में आराजी संख्या 148, 153 कीता–2 रकबा 0.210 हैक्टर भूमि का आबादी दर्ज करते हुए जो नामान्तरण खोला गया है वह खातेदार मनोहरलाल के नाम पर नहीं खोला जाकर बिलानाम सरकार के नाम पर खोला गया है, उक्त नामान्तरण खोले जाने के विवरण पर संपरिवर्तन तहसीलदार बेगूँ के आदेश कमांक / राजस्व / प्र0सं0 15/ 354 दिनांक 26.03.2015 की पालना में उक्त नामान्तरण खोला जाकर प्रमाणित किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल संपरिवर्तन आदेश कमांक 354 दिनांक 26.03.2015 का भी हमारे द्वारा अवलोकन किया गया, जिसमें अपीलार्थी खातेदार श्री मनोहरलाल द्वारा अपने खाते की आराजी संख्या 148 व 153 कुल रकबा 0.210 हैक्टर यानि 2100 वर्गमीटर भूमि का आवासीय संपरिवर्तन कराये जाने का आदेश अधीनस्थ तहसीलदार, बेगूँ द्वारा जारी किया है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा चैनसिह जी का राजपुरा प.ह. मण्डावरी सं. 2070 से 73 के अवलोकन से पाया कि आराजी संख्या 148, 153, 718/144 किता– 3 रकबा 0.269 हैक्टर किस्म बीड भूमि के खातेदार श्री मनोहरलाल पिता कल्याणमल अग्रवाल दर्ज है तथा जमाबंदी में लालस्याही से नोट अंकित है कि नामा.सं. 343 संपरिवर्तन मे आराजी नं. 148 व 153 किता–2 रकबा 0.21 हैक्टर बिलानाम सरकार आबादी (आवासीय) दर्ज करने की स्वीकृति होने का अंकन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तूत तदस्तावेज के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किए जाने के उपरान्त हम इस निर्णय पर पहुंचे है कि भूमि का आवासीय संपरिवर्तन किये जाने के पश्चात भूमि की किस्म परिवर्तन की जानी चाहिए थी, ना कि भूमि को

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

-----लगातार

Scanned by CamScanner

मुकदमा

बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना चाहिए था। हम अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस से सहमत है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है, नामान्तरण संख्या 343 ग्राम चैनसिंह जी का राजपुरा प.ह. मंडावरी निर्णित दिनांक 23.04.2015 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बेगूँ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त नामान्तरण के सम्बन्ध में जॉच कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारीत करें। आदेश प्रति तहसीलदार, बेगूँ को दी जावे।

आदेश आज दिनांक 12.09.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

12.9.19

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner